प्रेस नोट थाना कलान

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 05.05.2026

थाना कलान पुलिस टीम द्वारा हत्या के मुकदमे के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम, वाछित व वारण्टी अभि0गणो की गिरफ्तारी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शाहजहाँपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना कलान पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.04.2026 को थाना कलान,शाहजहाँपुर पर वादी रामवीर पुत्र भानू प्रताप निवासी ग्राम दारानगर अर्थरी, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें अभियुक्तगण 1. विपिन पुत्र रामकुमार, 2. मानवेन्द्र पुत्र सत्यपाल, 3. अमीर पुत्र वीरपाल, 4. सत्यपाल पुत्र द्वारिका, 5. संतराम पुत्र सतपाल, 6. चन्दकी राम उर्फ चन्दन पुत्र सत्यपाल, 7. सुनील पुत्र रामनिवास एवं 8. देव सिंह पुत्र रामकुमार, समस्त निवासीगण ग्राम दारानगर अर्थरी, थाना कलान,शाहजहाँपुर, द्वारा एक राय होकर वादी के भाई जयवीर को जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर से टक्कर मारने, गाली-गलौज एवं मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा अभियुक्त सत्यपाल पुत्र द्वारिका द्वारा अपनी लाइसेंसी दुनाली बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली मारने के संबंध में आरोप लगाए गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कलान पर मु0अ0सं0-116/2026 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 30 आयुध अधिनियम बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना गोली लगने से घायल जयवीर पुत्र भानू प्रताप निवासी उपरोक्त की दिनांक 28.04.2026 को उपचार के दौरान राममूर्ति हॉस्पिटल, बरेली में मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गई। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.05.2026 को अभियुक्त चन्दकी राम उर्फ चन्दन पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम दारानगर अर्थरी, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर को गंगोरा तिराहे से गंगोरा की ओर जाने वाली सड़क पर लगभग 50 कदम की दूरी से समय करीब 12:22 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

चन्दकी राम उर्फ चन्दन पुत्र सत्यपाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम दारानगर अरथरी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय-

गंगोरा तिराहे से गंगोरा की ओर जाने वाली सड़क पर लगभग 50 कदम की दूरी से दिनांक 05.05.26 को समय करीब 12:22 बजे

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-116/2026 धारा 191(2)/191(3)/103(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 30 आयुध अधिनियम

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 116/26 धारा 191(2)/191(3)/103(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 30 आयुध अधिनियम थाना कलान,शाहजहाँपुर
2.मु0अ0सं0 342/18 धारा 323,504,506 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधि0/कर्मचारीगण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदीन वर्मा थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 हरेन्द्र कुमार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 मनोज कुमार उपाध्याय थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर
4. रि0का0 अविराजा थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर
5. रि0का0 अभिषेक थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर